न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 406 / 2019 / 223 (00406 / 2019 / 223)

1. टीलसिंह पुत्र खंगारसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम थूनीथाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (मृतक) **नाम तर्क**
2. श्रीमती बन्नी देवी पत्नी स्व0 टीलसिंह,
3. श्रीमती दुर्गा पत्नी स्व0 रणजीतसिंह,
4. श्रीमती चंचल पुत्री स्व0 टीलसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम थूनीथाक, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र खंगार सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम थूनीथाक, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रणवीरसिंह उर्फ रणजीतसिंह,
4. कमलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह,
5. राकेश सिंह पुत्र सिंह,
6. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 टीलसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम थूनीथाक, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 18.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 91 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 से 6 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 26.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 के पेश कर कथन किया कि मौजा थूनीथाक, तहसील ब्यावर में हाल खसरा नंबर 171/2 रकबा 00–15–00 स्थित है । वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार वादी नारायणसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति रावत है एवं जिस पर कब्जा चला आ रहा है । उपरोक्त आराजी का नामांतकरण संख्या 290 दिनांक 5.9.2016 जरिये डिक्री आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के अनुसार वादी के बंटवारे अनुसार हिस्से में आई हुई है । न्यायालय के आदेशानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा होकर वादी के हक व कब्जे काश्त में उपरोक्त वादग्रस्त आराजी हिस्से में आई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 171/1 आई जिसका प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नंबर 171/1 पर काबिज काश्त है व वादी खसरा नंबर 171/2 रकबा 00–15–00 पर काबिज काश्त चला आ रहा था लेकिन प्रतिवादीगण की नियत खराब होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने 10 जुलाई, 2017 को वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 171/2 पर नाजायज कब्जा कर लिया है जो कतई गलत व गैर कानूनी है जिसे हटाया जाना न्यायसंगत है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 केवल मात्र वादी को आश्वासन देते रहते है लेकिन उपरोक्त नाजायज तरीके से किये गये अतिक्रमण को वादी की खातेदारी भूमि से नहीं हटा रहे है जिससे वादी को अपनी कृषि भूमि की पैदावार में प्रतिवर्ष 50,000/–रू0 का नुकसान हो रहा है तथा प्रतिवादीगण ऐलानिया धमकी दे रहे है इस कारण उपरोक्त वाद पेश करने की आवश्यकता हुई । अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के पूरे भाग पर जो वादी की खातेदारी की भूमि है, पर नाजायज कब्जा कर लिया है उसे हटाया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जावे व जब से प्रतिवादी संख्य 1 से 7 वादी की उपरोक्त आराजी पर कब्जा कर रखा है तब से वादी को 50,000/–रू0 सालाना की दर से मुआवजा दिलाया जावे । कब्जा नहीं देने की सूरत में जरिये पुलिस इमदाद वादी को कब्जा संभलाया जावे । प्रतिवादी संख्या 8 का उक्तानुसार आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2018 द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के द्वारा पूर्व में वादपत्र संख्या 151/2014 नारायणसिंह बनाम टीलसिंह व अन्य जो कि अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा के संदर्भ में प्रस्तुत किया था जिस पर अधी0न्याया0 के द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 19.5.2016 को पारित की गई । इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रथम अपील संख्या 365/2018 टीलसिंह बनाम नारायणसिंह व अन्य पेश की गई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.12.2018 को खसरा नंबर 171 रकबा 3 बीघा की भूमि के संदर्भ में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये जो अपील विचाराधीन होकर स्थगन आदेश आज भी प्रभाव में है । न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 17.12.2018 की पक्षकारान एव0 अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी होते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो पारित की गई है वह विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य

है। अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 नारायणसिंह द्वारा राजस्व वाद धारा 183 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया जिस पर आदेशिका दिनांक 5.12.2017 के अनुसार प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 टीलसिंह व अन्य के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं आगामी पेशी दिनांक 19.12.2017 शेष प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की तलबी हेतु नियत की गई, तत्पश्चात् दिनांक 19.12.2017 को आगामी दिनांक 15.1.2018 नियत की गई तत्पश्चात् दिनांक 15.1.2018 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की तलबी हेतु दिनांक 7.2.2018 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की तलबी, सम्मन लेने से इंकार, इसके पश्चात् पुनः आगामी दिनांक 28.2.2001, 14.3.2018 को पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से वाद पत्रावली पर सील लगाकर तारीख दी गई । दिनांक 26.3.2018 को कार्य स्थगित एवं दिनांक 27.4.2018 को राजस्व कैम्प होना आदेशिका में अंकित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.5.2018 नियत कर दी गई । तत्पश्चात् दिनांक 18.5.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखी गई जबकि अधी0न्याया0 की वाद पत्रावली की आदेशिकाओं से यह प्रमाणित होता है कि अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलांटस के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया एवं जवाबदावा भी बंद नहीं किया गया तथा वादपत्र में बिना साक्ष्य एवं बिना प्रदर्श लगाये राजस्व कैम्प में ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो राज्य सरकार के द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट की मंशा के विपरीत है । कैम्प कोर्ट में मात्र पक्षकारान की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही आदेश पारित किया जा सकता है । पक्षकारान के मध्य सहखातेदारी की भूमि जिसका बाहमी बंटवारा करीब 48 वर्ष पूर्व हो चुका है के अनुसार खसरा नंबर 171 जो कि रास्ते से लगती हुई 15 बिस्वा भूमि अपीलांट संख्या 1 की चली आई है तथा खसरा नंबर 171 रकबा 15 बिस्वा भूमि जो कि अपीलांट की भूमि के पीछे दक्षिण दिशा की ओर रेस्पो0 संख्या 1 नारायणसिंह की भूमि है जिस पर उसका कब्जा काश्त चला आया है तथा रेस्पो0 संख्या 1 का खसरा नंबर 171 रकबा 15 बिस्वा भूमि पर आवागमन का कदीमी समय से रास्ता जो पश्चिमी दिशा से लगता हुआ है उत्तर से दक्षिण रेस्पो0 संख्या 1 के खेत में आवागमन का रास्ता चला आया है । इस प्रकार अपीलांट संख्या 1 टीलसिंह के हक में खसरा नंबर 171 की भूमि का भाग आपसी बंटवारे के अनुसार प्राप्त हुई भूमि पर अपीलांट संख्या 1 द्वारा मकानात, चार दीवारी एवं तारबंदी एवं लंबे फलदार पेड़, बगीचा व बोरिंग, टेंक आदि का निर्माण करवाया गया है जो कि गत् 48 वर्षो से खसरा नंबर 171 की भूमि का भाग रास्ते से लगती हुई पर अपीलांट संख्या 1 का भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है । जिसकी रेस्पो0 संख्या 1 को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद वास्तविक तथ्यों को छिपाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 प्राप्त की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में निर्णित करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना नोटिस नहीं दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत में दिनांक 18.5.2018 को पारित करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना नोटिस नहीं दिया जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांटस संख्या अपील संख्या 365/2018 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 नारायणसिंह के द्वारा आवेदन पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का जवाब दिनांक 11.6.2019

को पेश किया कि इस जवाब में यह कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2018 को हो चुकी है । चूंकि अपीलांट संख्या 1 जो कि करीब 74 वर्ष का होकर अधिकांश बीमार रहता है तथा आंखों से कम दिखाई देता है, इस कारण अपीलांट संख्या 1 उनके अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका तथा दिनांक 21.10.2019 को संपर्क करने पर अपीलांट संख्या 1 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.10.2019 को हुई । तत्पश्चात् अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 22.10.2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाकिव है । अतः विलंब माफ किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में किये गये कथन मनगढ़त एवं झूठे एवं असत्य है । अधी0न्याया0 में प्रस्तुत वाद संख्या 91/2017 नारायणसिंह बनाम टीलसिंह को दिनांक 30.10.2017 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर आगामी पेशी दिनांक 5.12.2017 नियत की गई जिस पर दिनांक 5.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 से 7 अर्थात् अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से प्रकरण में पैरवी हेतु वकील शफी मोहम्मद ने वकालतनामा पेश किया । तत्पश्चात् जवाबदावा हेतु दिनांक 19.12.2017, 15.1.2018 की पेशी नियत की गई । दिनांक 15.1.2018 को जवाबदावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 से 7 इस बार जवाबदावा आवश्यक रूप से पेश करे अन्यथा जवाबदावा बंद किया जावेगा कि हिदायत देकर दिनांक 7.2.2018 को जवाबदावा देने हेतु नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 28.2.2018, 14.3.2018, 26.3.2018, 7.5.2018 की पेशियां नियत की गई तत्पश्चात् दिनांक 27.4.2018 को राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने हेतु आज नंबर पर लिया गया, इस हेतु पक्षकार को नोटिस जारी हो, मिसल कैम्प काबरा में दिनांक 18.5.2018 को पेश हो, के आदेश हुए । जिस पर दिनांक 18.5.2018 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प काबरा में पेश हुई । वादी व प्रतिवादी संख्या 2 देवेन्द्रसिंह पुत्र रणवीर सिंह (रणवीरसिंह पुत्र टीलसिंह) ने स्वंय उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये एवं उपस्थित पक्षकारों को सुना गया, तहसीलदार ब्यावर से रिपोर्ट मंगवाई जाकर मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को दिनांक 18.5.2018 को कैम्प कोर्ट काबरा में ही हो चुकी थी । इसके बावजूद अपीलंटस ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपील संख्या 365/2018 में दिनांक 11.6.2019 को होना बताया है जो असत्य कथन है। अपीलांटस ने विलंब के संबंध में असत्य एवं झूंठे कथन पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाकर अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रकरण में गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । खसरा नंबर 171/2 रकबा 00–15–00 स्थित है । वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार वादी नारायणसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति रावत है एवं जिस पर कब्जा चला आ रहा है । उपरोक्त आराजी का नामांतकरण संख्या 290 दिनांक 5.9.2016 जरिये डिक्री आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के अनुसार वादी के बंटवारे अनुसार हिस्से में आई हुई है । न्यायालय के आदेशानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा होकर वादी के हक व कब्जे काश्त में उपरोक्त वादग्रस्त आराजी हिस्से में आई

एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 171/1 आई जिसका प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नंबर 171/1 पर काबिज काश्त है व वादी खसरा नंबर 171/2 रकबा 00–15–00 पर काबिज काश्त चला आ रहा था लेकिन प्रतिवादीगण की नियत खराब होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने 10 जुलाई, 2017 को वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 171/2 पर नाजायज कब्जा कर लिया है जो कतई गलत व गैर कानूनी है जिसे हटाया जाना न्यायसंगत है । अधी0न्याया0 के समक्ष पटवारी हल्का धोलादांता द्वितीय ने मौका रिपोर्ट पेश की है जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेशानुसार खसरा नंबर 171 जरिये विभाजन की डिक्री खसरा नंबर 171/1 टीलसिंह पुत्र खंगारसिंह, 171/2 नारायणसिंह पुत्र खंगारसिंह व 171/3 लक्ष्मणसिंह पुत्र गणपतसिंह, संतोषसिंह पुत्र भूरसिंह के हिस्से में है । डिक्री बंटवारे अनुसार जमाबंदी में अमल दरामद हो चुका है व नक्शे में तरमीम की जा चुकी है परन्तु मौके पर बंटवारा के पूर्वानुसार खसरा नंबर 171/1 व 171/2 के रोड़ की तरफ के आधे हिस्से पर टीलसिंह पुत्र खगारसिंह ही काबिज है व पीछे के हिस्से पर नारायणसिंह पुत्र खंगारसिंह का कब्जा है। मौके पर डिक्री अनुसार कब्जा नहीं है । बहस में तहसीलदार ब्यावर स्वंय ने निवेदन किया कि उक्त अविधिक तरीके से किया गया कब्जा जरिये पुलिस इमदाद हटवाया जावे । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 की डिक्री के विरूद्ध अविधिक कब्जा किया है जो विधिविरूद्ध होने से अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 151/2014 में दिनांक 19.5.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसके अनुसार खसरा नंबर 171 का विधिक विभाजन किया जाकर खसरा नंबर 171/2 रकबा 15 बिस्वा भूमि वादी/रेस्पो0 नारायणसिंह पुत्र खंगार सिंह के पक्ष में रखा गया है तथा प्रतिवादी टीलसिंह पुत्र खंगारसिंह के पक्ष में खसरा नंबर 171/1 रकबा 15 बिस्वा रकबा गया है । अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारे की अंतिम डिक्री नियम 18 से 21 की पालना कर तैयार की गई है । वादी/रेस्पो0 बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित निर्णयानुसार खसरा नंबर 171/2 रकबा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार है । तहसीलदार, ब्यावर ने भी मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 171/2 रकबा 15 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट का अतिक्रमण होना पाया है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन अधीनस्थ न्यायालय की विभाजन डिक्री के अनुसार हुआ है । प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के आदेशों के विपरीत वादी/रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि अतिक्रमण किया है जो अविधिक है । खातेदार की आराजी पर अन्य काश्तकार द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर खातेदार बेदखली प्राप्त करने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर बेदखली का निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील

अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2018 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 26.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर